डायरी सं0 3080 मु0अ0(सम)
दिनांक 20/06/19

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

पत्रांकः 183 /अनिमं–8/यू0–6/एस–6, लखनऊ : दिनांक : 7 –06–2019

विषयः अन्य विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में सिंचाई विभाग के मध्य में भूमि/परियोजनाएं पड़ने पर वॉछिन अनुमति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

1. मुख्य अभियन्ता(गंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता(पूर्वीगंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।
3. मुख्य अभियन्ता(शारदा सहायक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(शारदा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(रामगंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता(सरयू–1), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, फैजाबाद।
7. मुख्य अभियन्ता(सरयू–2), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
8. मुख्य अभियन्ता(सोन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
9. मुख्य अभियन्ता(मध्यगंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, अलीगढ़।
10. मुख्य अभियन्ता(गण्डक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
11. मुख्य अभियन्ता(बेतवा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, झांसी।
12. मुख्य अभियन्ता(बेतवा परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, झांसी।
13. मुख्य अभियन्ता(कनहर), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मिर्जापुर।
14. मुख्य अभियन्ता(यमुना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, ओखला,

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित की जा रही योजनाओं के मध्य सिंचाई विभाग की भूमि/परिसम्पत्तियों पर कार्य कराये जाने की अनुमति/अनापत्ति निर्गत करने तथा जलापूर्ति किये जाने संबंध में आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में शासकीय पत्रांकः 1687/19–27–सिं0–4–50(डब्ल्यू)/19, दिनांक 22.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार एवं शासकीय पत्र के क्रम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(गोपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

पत्रांकः /अनिमं–8/यू0–6/ एस–6/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4, उ0प्र0, शासन को शासकीय पत्रांकः 1687/19–27–सिं0–4–50(डब्ल्यू)/19, दिनांक 22.05.2019 के क्रम में।

(गोपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

आगत संख्या 919 /अनि0-8
दिनांक 27-5-019

संख्या– 1687 / 19–27–सिं0–4–50(डब्ल्यू) / 19

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 22 मई, 2019

विषयः अन्य विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में सिंचाई विभाग की मध्य में भूमि/परियोजनाएं पड़ने पर वांछित अनुमति/अनापत्ति के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित की जा रही योजनाओं के मध्य सिंचाई विभाग की भूमि/परियोजना स्थित होने पर विभागीय भूमि/परिसम्पतियों पर कार्य कराये जाने की अनुमति/अनापत्ति निर्गत करने तथा जलापूर्ति किये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु संदर्भित की जा रही हैं। उक्त के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 सक्षम हैं। इस प्रकार शासन को प्रकरण अनावश्यक संदर्भित किये जाने पर विलम्ब के साथ–साथ ही शासन का समय व श्रम नष्ट होता है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय भूमि/परियोजनाओं पर संबंधित विभागों द्वारा अपनी परियोजनाओं पर कार्य कराये जाने व जलापूर्ति हेतु वांछित अनुमति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रवृत्त नियमों के आलोक में परीक्षण कराते हुए संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर विभागाध्यक्ष स्तर पर निस्तारित करायें।

3– प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रकरणों से संबंधित एम0ओ0यू0 पर श्री राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षर अपेक्षित हो, उन एम0ओ0यू0 पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षरोपरान्त विभागाध्यक्ष की संस्तुति तथा सुसंगत शासनादेश के अनुसार राजकोष में निर्धारित लेखाशीर्षक में शुल्क जमा कर चालान की मूल प्रति एम0ओ0यू0 के साथ विधीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,